

THE UTTAR PRADESH (TEMPORARY) CONTROL OF RENT AND
EVICTON (CONTINUANCE) ACT, 1970

(U. P. Act No. 16 of 1970)

*[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh (Temporary) Control
of Rent and Eviction (Continuance) Act, 1970.]

AN

ACT

*to provide for the continuance during a further period of one year of the provisions
of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India
as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent
and Eviction (Continuance) Act, 1970.

Amendment of
section 1 of U. P.
Act III of 1947.

2. In sub-section (4) of section 1 of the United Provinces (Temporary)
Control of Rent and Eviction Act, 1947, for the figures "1969" the figures "1970"
shall be substituted.

Repeal of U. P.
Ordinance no. 5
of 1969.

3. The Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent and Eviction (Con-
tinuance) Ordinance, 1969, is hereby repealed.

[*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*
dated March 3, 1970].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 9, 1970 and by the
Uttar Pradesh Legislative Council on March 12, 1970).

[Received the Assent of the President on April 7, 1970, under Article 201 of the Constitution
of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 8, 1970].

PSUP—A.P. 48 Genl (Leg.)—1970. 75. M.

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविकशन (जारी रखने का)
अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 9 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविकशन ऐक्ट, 1947 को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इसकीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविकशन (जारी रखने का) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविकशन ऐक्ट, 1947 की धारा 1 की उपधारा (4) में संख्या "1969" के स्थान पर संख्या "1970" रख दी जाय। यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1947 की धारा 1 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविकशन (जारी रखने का) अध्यादेश, 1969 एतद्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश संख्या 5, 1969 का निरसन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

पी० एस्० यू० पी०—ए०पी० 47 जनरल (लेग०)—1970—75 (मे०)।